संख्या- 16/2018/6004/71-2-2017-पी-13/2014

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 02 फरवरी, 2018

विषयः- संस्थान द्वारा निष्प्रयोज्य व निस्तारित 19 वाहनों से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा किये जाने के उपरान्त भारत सरकार द्वारा दिनांक 01-1-2017 से डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के स्थान पर GeM के माध्यम से वाहनों का क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/वाहन/436/2017/आर0एस0डी0 सं0 2143/14, दिनांक 18-12-2017, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान द्वारा निष्प्रयोज्य व निस्तारित 19 वाहनों से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा किये जाने के उपरान्त भारत सरकार द्वारा दिनांक 01-1-2017 से डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के स्थान पर GeM Portal के माध्यम से वाहनों का क्रय किये जाने की अनुमति का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में शासनादेश संख्या-3592/71-2-16-पी-30/2016, दिनांक 04 जनवरी, 2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ के विभिन्न विभागों के लिए उपकरणों के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 3993.00 लाख के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ द्वारा निष्प्रयोज्य व निस्तारित 19 वाहनों से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा किये जाने के उपरान्त भारत सरकार द्वारा दिनांक 01-1-2017 से डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के स्थान पर GeM Portal के माध्यम से निम्नलिखित वाहनों का क्रय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

क्र0सं0	वाहन	संख्या
1	Maruti, Ciaz Delta, Petro	02
2	Innova Crysta (Toyota) (Gx-7S-MT Diesel)	02
3	महिन्द्रा स्कार्पियो Mahindra Scorpio BS IV/2WD (Diesel)	02
4	भार वाहन Tata xenon Yodha crew cab with Load body, BSIV (Diesel)	01
5	शव वाहन हेतु वातानुकूलित टाटा विंगर एम्बुलेंस Winger Ambulance Shell 3488 WB, ABS, AC,PS, BS-IV	01

3- वाहनों का क्रय वर्तमान में लागू E Market Place, GeM Portal की व्यवस्था/दरों के अनुरूप किया जाएगा तथा वाहनों का क्रय, वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

4- धनराशि का आहरण सम्पूर्ण क्रय प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर खातें में नहीं रखा जायेगा। वाहनों की गुणवत्ता, मानक एवं विशष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक संस्थान की होगी।

5- निदेशक संस्थान यह सुनिश्चित करेगें कि जिन वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम किया गया है, वह समस्त वाहन शासकीय वाहन थे। उक्त के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन वाहनों का क्रय किया जा रहा है, वह नीलाम किये गये वाहनों की प्रकृति के ही है।

6- संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वाहन किसी अन्य कार्य योजना में सम्मलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

7- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

8- संस्थान यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रश्नगत निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी से प्राप्त धनराशि नियमानुसार कोषागार में जमा कर दी गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप पूर्व में कोई वाहन क्रय नहीं किया गया है तथा इन निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप प्रश्नगत प्रस्ताव के अतिरिक्त भविष्य में भी कोई नया वाहन क्रय नहीं किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार की डुप्लीकेसी की स्थिति में निदेशक संस्थान उत्तरदायी होगें।

10- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/323/दस-2018, दिनांक 30 जनवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 16/2018/6004(1)/71-2-17-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3 कोषाधिकारी, लखनऊ ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
6. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/
7. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।